



असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2628]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2014/पौष 3, 1936

No. 2628]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2014/PAUSHA 3, 1936

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3265(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अंतर्गत अधीन शक्तियों के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि दमण एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं निराकरण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के अन्तर्गत, उपयुक्त सरकार के कार्यों का निर्वहन संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11030/01/2014-यूटीएल] राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2014

S.O. 3265(E).—In pursuance of the powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the functions of the appropriate Government under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), shall be discharged, in relation to the Union Territories of Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli, by the Administrator of respective Union Territory.:-

[F. No. U-11030/01/2014-UTL] RAKESH SINGH, Jt. Secy.